



(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक: 271

पटना, दिनांक: 07-7-26

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी
सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-9 (कमता-03) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-9 (कमता-03) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 19.06.2026 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

(मनोरंजन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी

प्रतिलिपि:-

1. जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-9 (कमता-03) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 19.06.2026 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 19.06.2026 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स तिरूपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद -824102 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-9 (कमता-03) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल, बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 19.06.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय कलेर परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3109/2025, dated 15.12.2025 के आलोक में श्री शैलेश कुमार उप विकास आयुक्त, अरवल (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से) (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक: 19.06.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा अरवल जिला अन्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-09 (कमता-03), मौजा-कमता, अंचल-कलेर, जिला-अरवल में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में 16.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 2,97,000 घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 5 करोड़ 07 लाख 55 हजार है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा अरवल जिला अन्तर्गत अरवल सोन-09 (कमता-03), मौजा-कमता, अंचल-कलेर, जिला-अरवल के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री प्रतीक शर्मा को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री प्रतीक शर्मा के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप विकास आयुक्त महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 165 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री रोहित कुमार, पिता-विजय शर्मा, ग्राम-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	इनके द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने से संबंधित एवं बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वास्त किया गया कि ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमित रूप से सड़को पर जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर बालू का परिवहन किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री रोहित कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

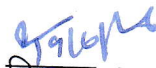
2	श्री रघु कुमार, पिता: श्री अजय कुमार ग्राम-कमता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	इनके द्वारा भी स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने से संबंधित एवं बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमित रूप से सड़को पर जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर बालू का परिवहन किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री रघु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
---	---	--

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव करेंगे एवं बालू परिवहन के दौरान सड़क के किनारे जो बालू गिरता है उसका उठाव सुनिश्चित करेंगे जिससे उक्त मार्ग में आने-जाने वाले जनता को कोई भी समस्या न हो, साथ बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई अथवा भू-गर्भीय जल स्तर से उपर तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाये।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए बालू घाट का प्रस्तावित खनन परियोजना से सम्बंधित अग्रेतर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गयाजी



उप विकास आयुक्त,
अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: मनीषा कुमारी, पिता: श्री रामानुज शास्त्री, पति: श्री कुणाल कुमार, ग्राम-पेमा, पोस्ट-दादर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद-824102 द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल सोन-09 (कामता-03), बालू घाट, मौजा-कामता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 19.06.2026 को 12:30 बजे अपराहन में प्रखंड कार्यालय, कलेर, जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती उमा	रामानुज अम्बुका ग्राम	7/6/24
2.	मनोज कुमार सिंह	सेवा में पदाधिकारी जि. 19 प्र. वि. पद जयपुरी	MK Singh 19.06.24
3.	मिनाक्षी गुप्ता	श्वान निरीक्षक अरवल	19.06.26
4.	मुकुता कुमार शर्मा	Consultant Rion Enviro Pvt Ltd. Patna	Mukta K. Sharma.
5.	Abhilasha Gupta	Mines Inspector Arwal	Abhi Gupta 19.06.26
6.	Prateek Sharma Unit Representative	Add: Vill + Post Shamshernagar P.S Daudnagar, Aurangabad	Prateek Sharma
7.	आरुणीष कुमार उमरौल - मौजार	गाँव - कामता	
8.	जितेंद्र पायवाज रामचन्द्र पायवाज	गाँव - कामता	जितेंद्र पायवाज
9.	रंजीत कुमार हवा अंजीत कुमार/शर्मा	गाँव कामता	Ranjit Kumar

10.	Rishav Bhadraj SIRAJU KUMAR	गोंव - कमता	Rishav Bhadraj
11.	सुरेंद्र कुमार राम चंद्र राम	गोंव कमता	Sury
12.	नारद कुमार राजेश राम	गोंव कमता	Narad Kumar
13.	Jeelak Kumar Jasogya Sharma	गोंव - कमता	Jeelak Kumar
14.	प्रमोद पांडे राम प्रमोद पांडे	गोंव - कमता	प्रमोद पांडे
15.	हरीश कुमार रामजी/राम राम	गोंव - कामता	हरीश कुमार
16.	Dimple K. Sharma Ajay Sharma	Kamta	Dimple
17.	मनीष शर्मा मनीष शर्मा	गोंव - कामता	मनीष
18.	Rohit Kumar Vijay Sharma	V - Kamta	Rohit Kumar
19.	रघु	गोंव - कामता	रघु
20.	KANHAIA KUMAR	V- Kamta	Kanhaiya K.

21.	ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਪਿਤਾ - ਸ਼ਰੋਣ ਕੁਮਾਰ	ਸ਼ੀਸ਼ਾ - ਕਮਲਾ ਬਾਪਾ - ਕਮਲਾ ਮਾਤਾ - ਅਰਵਿੰਦ	Garhwal
22.	ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ	ਸ਼ੀਸ਼ਾ - ਕਮਲਾ ਬਾਪਾ - ਕਮਲਾ ਮਾਤਾ - ਅਰਵਿੰਦ	ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			